(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 47/2015–2020 दिनांकः 08 दिसम्बर, 2015

विषयः– भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत आशय की घोषणा के संबंध में।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सार्वजनिक सूचना सं0 40 दिनांक 09 अक्तूबर, 2015 द्वारा एमईआईएस के तहत प्रतिफल प्राप्त करने का दावा करने संबधी प्रक्रिया निर्धारित की थी जहाँ दिनांक 01.04.2015 से 31.05.2015 के बीच निर्यात ईडीआई द्वारा जारी पोतलदान बिलों के माध्यम से किया गया था तथा निर्यातक ने असावधानी से "प्रतिफल मद बाक्स" में 'एन' चिन्हित किया था लेकिन वह एमईआईएस का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक था।

2. तदोपरांत निर्यातकों तथा व्यापार एवं उद्योग जगत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कि ऐसी प्रक्रिया को 31.05.2015 के बाद भी लागू किया जाना चाहिए।

3. मामले का समुचित समाधान करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.14 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) (2015–20) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार ने एतदद्वारा अनुपालन की जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया को अनुमत किया है जहाँ दिनांक 01.06.2015 से 30.9.2015 के बीच निर्यात ईडीआई द्वारा जारी पोतलदान बिलों के माध्यम से किया गया है तथा जहाँ निर्यातक ने असावधानी से "प्रतिफल मद बाक्स" में 'एन' चिन्हित किया है परन्तु उसने पोतलदान बिल पर अपना सकारात्मक आशय प्रकट किया है।

4. संबंधित आरए स्क्रिप जारी करने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार करेगाः–

(क) 1.6.2015 से 30.9.2015 तक किए गए निर्यातों से संबंधित पोतलदान बिलों, जिन्हें डीजीएफटी को प्रेषित नहीं किया था (मद स्तर पर 'एन' की घोषणा के कारण और इस प्रकार प्रतिफल स्कीम के लिए नकारात्मक आशय को दर्शाते हुए) के लिए मद–स्तर के विवरणों को महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा चिन्हित किया जाएगा और विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रेषित किया जाएगा। इससे निर्यातक ऐसे मामलों में प्रतिफल आवेदनों को इलेक्ट्रानिक रूप से डीजीएफटी प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे निर्यातक ऐसे मामलों में प्रत्येक पोतलदान बिल की वास्तविक निर्यात संवर्धन (ईपी) प्रति निर्यातकों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) ('एन' घोषणा वाले सभी मामलों में) को यह जांचने के लिए प्रस्तुत की जाएगी कि निर्यातक द्वारा आशय की घोषणा एफटीपी/एचबीपी के अन्य प्रावधानों के अधीन प्रतिफल को अनुमत करने से पहले प्रक्रिया–पुस्तक (एचबीपी) 2015–20 के पैरा 3.14 में दिए गए अनुसार की गई थी।

(ख) जहाँ दिनांक 01.06.2015 से 30.9.2015 के बीच किए गए निर्यात के पोतलदान बिल अग्रिम प्राधिकार (एए)/निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी)/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम पोतलदान बिल होने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय को अन्यथा भेजे गए हैं, परन्तु "प्रतिफल मद" क्षेत्र में "नहीं" घोषित किया गया है, तो निर्यातक पोतलदान बिलों की निर्यात संवर्धन (ईपी) प्रति प्रस्तुत करेगा और संबधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पोतलदान बिलों की वास्तविक निर्यात संवर्धन प्रति पर आशय की घोषणा, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 3.14 मे दिया गया है, की पुष्टि करने के पश्चात् प्रतिफल जारी किया जा सकता है।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>

दिनांक 01.06.2015 से 30.9.2015 के बीच किए गए निर्यात हेतु सीमाशुल्क विभाग में पोतलदान बिलों को फाइल करते समय ऐसे पोतलदान बिल जिनमें आशय की घोषणा "हाँ" को चिन्हित नहीं किया गया है और "प्रतिफल मद बॉक्स" में असावधानी से "नहीं" पर निशान लगा दिया गया है, तो उन्हें सीबीईसी द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय को भेजा जाएगा।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/61/180/179/एएम 16/पीसी–3 से जारी)